उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

UPESSC, PRAYAGRAJ

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UPTET**)–2026

Adv. No. 01/UPTET/2026

Information Booklet
(निर्देश पुस्तिका)

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, 23 एलनगंज,
प्रयागराज–211002

www.upessc.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

विषय–सूची

क्रसं	विवरण	पृष्ठ
1.	महत्वपूर्ण तिथियॉ	**1-1**
2.	उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) के आयोजन की पृष्ठभूमि	**1-1**
3.	उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता	**1-2**
4.	ऑनलाइन आवेदन	**2-2**
5.	आवेदन शुल्क	**2-2**
6.	पात्रता	**2-4**
7.	परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	**4-5**
8.	परीक्षा अवधि व स्वरूप	**5-5**
9.	लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट	**5-5**
10.	अर्हक अंक	**5-6**
11.	अनुप्रयोज्यता (Applicability)	**6-6**
12.	यू0पी0टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र की वैधता तथा वितरण	**6-6**
13.	अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश	**6-9**

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज–211002

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ :–

विज्ञापन संख्या	01/UPTET/2026
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)	वर्ष 2026
विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	दिनांक 20.03.2026
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	दिनांक 27.03.2026
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि	दिनांक 26.04.2026
शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	दिनांक 01.05.2026
अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि	दिनांक 22 जून 2026
परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत तिथि	दिनांक 30 जून 2026
परीक्षा तिथि	02, 03, 04 जुलाई 2026

2. <u>उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) के आयोजन की पृष्ठभूमि</u> :–

I. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई) द्वारा दिनांक 23–अगस्त, 2010, दिनांक 29 जुलाई 2011 एवं दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–2 (एन) में दिये गये विद्यालयों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु एक आवश्यक योग्यता यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसका आयोजन एन.सी.टी.ई द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सरकार द्वारा किया जायेगा। एन.सी.टी.ई. द्वारा दिनांक 11.02.2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा सम्पादित कराये जाने हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

II. उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु उ0प्र0 शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–5/2021/192/अरसठ–4–2021–9(16)/2020 दिनांक 15 मार्च 2021 द्वारा उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं आगामी उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु संशोधित/नवीन मार्गदर्शी सिद्वान्त निर्गत किये गये है। उ0प्र0 पात्रता परीक्षा प्राथमिक(कक्षा 1 से 5 तक) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता एवं ई0डब्ल्यू0एस0 अर्हक अंक में परिवर्तत के दृष्टिगत् उ0प्र0 शासन के बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–233/2021/192/अरसठ–4–2021–9(16)/2020 दिनांक 13 मार्च 2026 निर्गत किया गया है।

III. <u>उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 दिनांक 21 अगस्त 2023 के नियम–9(ख)</u> में उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु आयोग को अधिकृत किया गया है।

IV. परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग, चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने सम्बन्धित दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–6/2024/148/सामान्य/47/का–4–2024 कार्मिक अनुभाग–4 दिनांक 19 जून 2024 तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में किया जायेगा।

V. <u>एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का तार्किक आधार इस प्रकार है :–</u>

- **a.** यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा।
- **b.** यह शिक्षा संस्थानों व इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को अपने निष्पादन स्तरों से आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा।
- **c.** इससे सभी सम्बन्धित को एक सकारात्मक संकेत जायेगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रही है।

3. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता :–

3.1– द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के दृष्टिगत् उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले प्राथमिक(कक्षा 1 से 5) एवं उच्च प्राथमिक(कक्षा 6 से 8) के विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों

के पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.2– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम/स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किये जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

4. ऑनलाइन आवेदन :–

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि **उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026** हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। सूच्य है कि अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। सभी अभ्यर्थियों को One Time Registration(OTR) करना अनिवार्य होगा। One Time Registration(OTR) के बाद ही सन्दर्भित परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जो अभ्यर्थी प्राथमिक(1 से 5) व उच्च प्राथमिक(6 से 8) कक्षा दोनों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहते हैं और जिसके लिए वह आवश्यक अर्हता धारित करते हैं उन्हें एक ही आनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न–पत्रों के परीक्षा के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी। आनलाइन आवेदन भरने के लिये निर्देश पुस्तिका(User Manual) हिन्दी व अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो(Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।

5. आवेदन शुल्क :–

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 हेतु अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है :–

क.स.	वर्ग/श्रेणी	आवेदन शुल्क(पेपर–I)	आवेदन शुल्क(पेपर–II)
1.	सामान्य/ईब्ल्यू0एस0/अन्य पिछड़ा वर्ग	1000	1000
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	500	500
3.	दिव्यांग श्रेणी	300	300

6. पात्रता :–

यू०पी० टी०ई०टी० 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होगें–

6.1. <u>कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता :–</u>

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) के अन्तिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित/स्नातक शिक्षामित्रों का द्विवर्षीय बी०टी०सी० के अन्तिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.)/भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी. एड. विशेष शिक्षा) के अन्तिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी०टी०सी० उर्दू विशेष प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए– उर्दू उपाधि धारक (उर्दू शिक्षक हेतु)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

6.2. <u>कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (**UPTET**) में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता :–</u>

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एड०) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक(बी०एड०) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था / भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) के बी0एड0 विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई / यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी.एड / बी.ए.बी.एड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उतीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं एन.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त संस्था से चार वर्षीय बी.एस.सी.एड. / बी.एस.सी. बी.एड. के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0) के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

अथवा

विधि द्वारा स्थापित एवं यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा) में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।

6.3. टिप्पणी :–

- **I.** उ0प्र0 शासन द्वारा आरक्षण नियमों से आच्छादित सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंको में छूट अनुमन्य होगी।
- **II.** इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा डी०एड० (विशेष शिक्षा) और बी०एड० (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।
- **III.** एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि (बी०एड०) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
- **IV.** डी०एड० (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- **V.** ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताएं भाषा, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान/गणित, विज्ञान इत्यादि के शिक्षकों के लिए लागू है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के सम्बन्ध में एन.सी.टी.ई. विनियम दिनांक 03.11.2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) में उल्लिखित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता मानदण्ड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान एवं कार्य शिक्षा इत्यादि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान पात्रता मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक एन.सी.टी.ई. ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है।
- **VI.** ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री (बी०एड०) अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी०एल०एड०) के अन्तिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अनन्तिम रूप से शामिल किया जायेगा और उनका यू०पी०टी०ई०टी० प्रमाण पत्र उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।
- **VII.** ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी वह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :–

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक(कक्षा 1 से 5) की परीक्षा योजना निम्नवत है :–

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	गणित (अनिवार्य)	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन (अनिवार्य)	30 MCQs	30
कुल		150 **MCQs**	150 अंक

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 की लिखित परीक्षा हेतु उच्च प्राथमिक(कक्षा 6 से 8) की परीक्षा योजना निम्नवत है :–

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम हिन्दी (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी / उर्दू / संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित / विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQs	60
कुल		150 **MCQs**	150 अंक

नोट : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक(कक्षा 1 से 5) तथा उच्च प्राथमिक(कक्षा 6 से 8) स्तर का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–5 पर संलग्न है।

8. परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप :–

I. परीक्षा की अवधि **ढाई घण्टा** अर्थात् कुल 150 **मिनट** होगी।
II. परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।
III. नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
IV. प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
V. प्रश्न पत्र का माध्यम **'हिन्दी'** तथा **'अंग्रेजी'** होगा(भाषा के विषयों को छोड़कर)।

9. लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट :–

यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)–2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली (Shift)/दिन(Day) में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/दिनों(Days) में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/दिनों(Days) में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना/विज्ञप्ति संख्या–शि0से0आयोग/2018/2025–26 दिनांक 26.02.2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. अर्हक अंक :–

I. UP-TET में शामिल होने वाले अभ्यर्थियो के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
III. UP-TET में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।
IV. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रानिक संसाधन द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से सम्पादित कराया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन सं० भरने एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भाषा विकल्प/पार्ट–IV (विज्ञान/गणित या सामाजिक विज्ञान) के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे।

इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें।

V. अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के कॉलम में काले किये गये गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के गलत अंकन से सम्बन्धित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उपलब्ध करायी गयी प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुशरण करें।

11. **अनुप्रयोज्यता (Applicability)** :— उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदित उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अथवा अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगेः—

11.1 <u>प्राथमिक स्तर :—</u>

I. ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।

II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय—समय पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी हो।

III. जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।

IV. ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

11.2 <u>उच्च प्राथमिक स्तर :—</u>

I. ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो।

II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय—समय पर संचालन हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी हो।

III. जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो।

IV. ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो।

12. यू0पी0टी0ई0टी0 प्रमाणपत्र की वैधता तथा वितरण :—

I. उत्तर प्रदेश शासन, के पत्र संख्या—392/अरसठ—4—2021—9(16) बेसिक शिक्षा अनुभाग—4, लखनऊ दिनांक 16 जून 2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैद्यता सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किये जाने की तिथि से आजीवन(Lifetime) तक प्रभावी होंगे।

II. आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का वितरण इलेक्ट्रानिक माध्यम(डीजी लॉकर) के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

III. प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, वर्ग(जाति) एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जायेगा, अतः आवेदन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

13. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :—

I. उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

II. किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमन्य है।

III. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

IV. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

V. आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मॉगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

VI. आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

VII. आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

VIII. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

IX. आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

X. अनाचार/कदाचार अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 अधिसूचना संख्या–338/79–वि–1–2024–1–क–2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में UFM(अनुचित साधन) में चिन्हित अभ्यर्थियों के दण्ड का प्रावधान किया जायेगा और उसे भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित **(Debar)** किया जा सकता है।

XI. आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित समस्त सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

XII. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करें जब वह संतुष्ट हो जायें कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।

XIII. किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित **(Debar)** करने का अधिकार आयोग को होगा।

XIV. यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो निम्नलिखित दूरभाष नंबर अथवा ईमेल आई0डी0 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं :–

	Technical Support (Application Related Issue)	**Bank Payment Support (Payment Related Issue)**		**UPESSC Commission Support (Eligibility Related Issue)**
		SBI BANK	**ICICI BANK**	
Mo.No	+919899677276 **(09 AM - 06 PM)** **(Monday - Saturday)**	022-65361671 **(24x7)**	0532-2465630 9653686149, 7007956300 7275247672, 8097506200 **(9:30 AM – 06:30 PM)** **(Working Days)**	0532-2466851 **(10 AM - 05 PM)** **(Monday - Saturday)**
Email	uptet.support@upessc.org	sbiepay@sbi.co.in	rana.prateek@icici.bank.in adhiraj.singh@icici.bank.in	upmsscball@gmail.com

XV. ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

XVI. ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात् आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी वांछित सूचनायें सावधानीपूर्वक सही–सही भरें और गलत फोटो अपलोड न करें। ऑनलाइन प्रक्रिया

में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम मानी जायेंगी व उनके आधार पर ही अभ्यर्थियों की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शार्टलिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जाएगी। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में कोई त्रुटि अभ्यर्थियों के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें। इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा गलत/त्रुटिपूर्ण विवरण भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

XVII. यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मानदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं हैं तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

XVIII. भ्रामक, गलत अथवा असत्य सूचना देने पर परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, प्रमाण–पत्र जब्त कर लिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

XIX. मशीन (इलेक्ट्रानिक संसाधन) के माध्यम से स्कैनिंग की जाने वाली मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारंबार संवीक्षा की जाती है। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा के लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

XX. दिव्यांग उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं– पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित **(Blind)** एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को 'श्रुतलेखक' की सुविधा दी जा सकती है, जो लिखने में अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो। किन्तु 'श्रुतलेखक' को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लायेगा।

परीक्षा केन्द्र पर, श्रुत लेखक को परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए अनिवार्य है कि, परीक्षार्थी 'श्रुतलेखक' को परीक्षा में अपने साथ ला रहा है, इस आशय का प्रत्यावेदन परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा केन्द्र के केन्द्रव्यवस्थापक को प्रस्तुत कर 'श्रुतलेखक' को बैठाए जाने की अनुमति प्राप्त कर ले। परीक्षार्थी को उक्त आशय के प्रत्यावेदन के साथ पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind) होने/लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ होने सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, परीक्षार्थी का फोटो पहचान पत्र, 'श्रुतलेखक' के शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र, एवं 'श्रुतलेखक' का फोटो पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

XXI. 'श्रुतलेखक' की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् जिस वर्ष की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही हो, 'श्रुतलेखक' उसी वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा उसी वर्ष इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो चुका हो, ऐसा अभ्यर्थी ही 'श्रुतलेखक' के रूप में मान्य किया जाएगा। 'श्रुतलेखक' हेतु परीक्षा के समय में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था उ0प्र0, शासनादेश संख्या–आई0/210789/2022/65–3099/135/2022 दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर 2022 में विहित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार होगा।

उदाहरण– यदि उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 की है, तो 'श्रुतलेखक' वर्ष 2027 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अथवा वर्ष 2026 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अभ्यर्थी होना चाहिए।

XXII. दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम **40 प्रतिशत** या इससे अधिक प्रतिशत के दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें ही दिव्यांग अभ्यर्थी के रूप में विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्रदान किया जाएगा परन्तु परीक्षा में 'श्रुतलेखक' साथ लाने व परीक्षा अवधि में अतिरिक्त 30 मिनट प्रदान किये जाने का लाभ केवल उन्ही परीक्षार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित (Blind)/लिखने व गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो।

XXIII. पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थी जो लिखने अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो, को ही परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया

जायेगा। परीक्षा अवधि में 30 मिनट के अतिरिक्त समय की मांग हेतु, परीक्षार्थी को परीक्षा तिथि के पूर्व ही परीक्षा केन्द्र के केन्द्रव्यस्थापक को इस आशय का प्रत्यावेदन समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

XXIV. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास (परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने सम्बन्धी प्रयत्न/अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा के किसी भी चरण में प्रतिरूपण Impersonation सम्बन्धी प्रकरणों सहित) जो कि भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है) व अन्य अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित भी किया जा सकता है।

सचिव
उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग
प्रयागराज।

परिशिष्ट–1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम.. तहसील .... नगर.. जिला..उत्तर प्रदेश राज्य की ....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनूसूचित जाति)/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ....ग्राम .... तहसील.. नगर...............................जिला..में सामान्यता रहता/रहती है।

स्थान.................................. हस्ताक्षर...................................

दिनांक................................ पूरा नाम....................................

मुहर.................................... पद का नाम...............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट–2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम... तहसील .... नगर................................ जिला...............................उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति है यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूचित एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पूर्योक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूचित दो (संशोधन अनिधनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण)(संसोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संसोधित की गयी है से अच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं है तथा पास धनकर अधिनियम 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपति भी नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर.. जिला .... में सामान्यता रहता/रहती है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर .... पद का नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी माजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट–3

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या .... दिनांक........................

वित्तीय वर्ष.. के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..
पुत्र / पुत्री / पति ....ग्राम / कस्बा...
पोस्ट ऑफिस..थाना..
तहसील...जिला...राज्य...
पिन कोड................................ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योकि वित्तीय वर्ष..................................... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्थामित्य में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

1. 5(पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इसके ऊपर।
2. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
3. अधिसूचित नगर पालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
4. अधिसूचित नगर पालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी...जाति...के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर...(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम..
पदनाम...
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

परिशिष्ट–4

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. निवासी..ग्राम...............................तहसील.. नगर..जिला.. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)............................के आश्रित है।

स्थान...
दिनांक...
मुहर..

हस्ताक्षर...
पूरा नाम..
मुहर..................................
जिलाधिकारी

(सील)..

यू0पी0टी0ई0टी0(**UPTET**) की संरचना व विषय वस्तुः–

I. प्राथमिक स्तर **TET** परीक्षा (कक्षा 1 से 5 के लिए)

II. परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् 150 मिनट की होगी।

III. यू0पी0टी0ई0टी0 में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन(**Negative Marking**) नही होगा।

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी / उर्दू / संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	गणित (अनिवार्य)	30 MCQs	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन (अनिवार्य)	30 MCQs	30
कुल		150 **MCQs**	150 अंक

पेपर I (कक्षा I से V के लिए) प्राथमिक स्तरः–

I. बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न

क) विषय–वस्तु

बाल विकासः–

- बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास– अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास।
- बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक–वंशानुक्रम, वातावरण। (पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार माध्यम)

सीखने का अर्थ तथा सिद्धान्तः–

- अधिगम (सीखने) का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ।
- अधिगम के नियम– थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एव अधिगम में उनका महत्व।
- अधिगम के प्रमुख सिद्धान्त तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त, पैवलव का सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त, कोहलर का सूझ या अन्तर्दृष्टि का सिद्धान्त, प्याजे का सिद्धान्त, व्योगास्की का सिद्धान्त सीखने का वक्र– अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।

शिक्षण, शिक्षण विधाएँ

- शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सम्प्रेषण, शिक्षण के सिद्धान्त, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ (उपागम), सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल।

समावेशी शिक्षा–निर्देशन एवं परामर्श

- शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथाः अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्/अस्थिबाधित), मानसिक दक्षता।
- समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टी0एल0एम0 एवं अभिवृत्तियाँ।
- समावेशित बच्चों का अधिगम जाँचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी।
- समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। यथा ब्रेललिपि आदि।
- समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श– अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र।
- परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग/संस्थाएँः–
    - मनोविज्ञानशाला उ0प्र0, प्रयागराज
    - मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र (मण्डल स्तर पर)
    - जिला चिकित्सालय
    - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षत डायट मेण्टर
    - पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तन्त्र
    - समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ
    - सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन
- बाल–अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व।

ख) अधिगम और अध्यापनः–

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं; बालकों की अधिगम कार्यनीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम; अधिगम के सामाजिक सन्दर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेशक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना; अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं।
- प्रेरणा और अधिगम।
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक– निजी एवं पर्यावरणीय।

II. भाषा– I — 30 प्रश्न

क) हिन्दी (विषय वस्तु):–

- अपठित अनुच्छेद।
- हिन्दी वर्णमाला। (स्वर, व्यंजन)
- वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान।
- वाक्य रचना।
- हिन्दी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से– ष, स, श, ब, व, ढ, ड, ङ, क्ष, छ, ण, तथा न की ध्वनियाँ।
- हिन्दी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चन्द्रबिन्दु में अन्तर।
- संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द।
- सभी प्रकार की मात्राएँ।
- विराम चिन्हों यथा– अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, चिन्हों का प्रयोग।
- विलोम, समानार्थी, तुकान्त, अतुकान्त, समान ध्वनियों वाले शब्द।
- संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद।
- वचन लिंग एवं काल।
- प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज, शब्दों की पहचान एवं उनमें अन्तर।
- लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ।
- सन्धि– (1) स्वर सन्धि– दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण् सन्धि, अयादि सन्धि।
  (2) व्यंजन सन्धि।
  (3) विसर्ग सन्धि।
- वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद।
- कवियों एवं लेखकों की रचनाएं।

ख) भाषा विकास का अध्यापन:–

- अधिगम और अर्जन।
- भाषा अध्यापन के सिद्धान्त।
- सुनने और बोलने की भूमिका: भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियां और विकार।

- भाषा कौशल।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करनाः बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- अध्यापन– अधिगम सामग्रियांः पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन।
- उपचारात्मक अध्यापन।

III. भाषा– **II** 30 प्रश्न

ENGLISH

क) विषय वस्तुः–

- Unseen Passage
- The Sentences
  (a) Subject and Predicate
  (b) Kinds of Sentences
- Parts of Speech
  Kinds of Noun
  Pronoun
  Adverb
  Adjective
  Verb
  Preposition
  Conjunction
- Tenses- Present, Past, Future
- Articles
- Punctuation
- Word Formation
- Active & Passive Voice
- Singular & Plural
- Gender

IV. भाषा– **II** 30 प्रश्न

उर्दू

क) विषय वस्तुः–

- अपठित अनुच्छेद।
- ज़बान की फन्नी महारतों की मालूमात।
- मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालातें जिन्दगीं एवं उनकी रचनाओं की जानकारी।
- मुखतलिफ असनाफे अदब जैसे, मज़मून, अफसाना मर्सिया, मसनवी दास्तान वर्गरह की तारीफ मअ, अमसाल।
- सही इमला f वं तलफ्फुज की मश्क़।
- इस्म, जमीर, सिफत, मुतज़ाद अल्फ़ाज, वाहिद, जमा, मोजक्कर, मोअन्नस वगैरह की जानकारी।
- सनअते, (तशबीह व इस्तआरा, तलमीह, मराअतुन्नजीर) वगैरह।
- मुहावरें, जर्बुल अमसाल की मालूमात।
- मखतलिफ समाजी मसायल जैसे माहौलियाती आलूदगी जिन्सी नाबराबरी, नाख्वान्दगी, तालीम बराएअम्न, अदमे, तग़जिया, वगैरह की मालूमात।
- नज़्मो, कहानियों, हिकायतों एवं संस्मरणों में मौजूद समाजी एवं एखलाकी अक़दार को समझना।

V. भाषा– **II** 30 प्रश्न

संस्कृत

क) विषय वस्तुः–

अपठित अनुच्छेद

संज्ञाएँ–

- अकारान्त पुल्लिंग।
- अकारान्त स्त्रीलिंग।
- अकारान्त नपुंसकलिंग।
- ईकारान्त स्त्रीलिंग।
- उकारान्त पुल्लिंग।
- ऋकारान्त पुल्लिंग।
- ऋकारान्त स्त्रीलिंग।
- घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय।
- सर्वनाम।
- क्रियाएँ।
- शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग।
- अव्यय।
- सन्धि–सरल शब्दों की सन्धि तथा उनका विच्छेद् (दीर्घ सन्धि)।
- संख्याएँ–संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान।
- लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन।
- स्वर व्यंजन एवं विसर्ग सन्धियाँ, समास उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य।
- कवियों एवं लेखकों की रचनाएँ।

ख) भाषा विकास का अध्यापनः–

- अधिगम और अर्जन।
- भाषा अध्यापन के सिद्धान्त।
- सुनने और बोलने की भूमिकाः भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार।
- भाषा कौशल।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करनाः बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- अध्यापन– अधिगम सामग्रियांः पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन।
- उपचारात्मक अध्यापन।

VI. गणित — 30 प्रश्न

क) विषय वस्तुः–

- संख्याएँ एवं संख्याओं का जोड़, घटाना गुणा, भाग।
- लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक।
- भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग।
- दशमलव– जोड़, घटाना, गुणा व भाग।
- ऐकिक नियम।
- प्रतिशत।

- लाभ–हानि।
- साधारण ब्याज।
- ज्यामिति–ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त।
- धन (रुपया–पैसा)।
- मापन– समय, तौल, धारिता, लम्बाई एवं ताप।
- परिमिति (परिमाप) – त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज।
- कैलेण्डर।
- आंकड़े।
- आयतन, धारिता–घन, घनाभ।
- क्षेत्रफल– आयत, वर्ग।
- रेलवे या बस समय–सारिणी।
- आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण।

ख) अध्यापन संबन्धी मुद्देः–

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति; बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना।
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान।
- गणित की भाषा।
- सामुदायिक गणित।
- औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन।
- शिक्षण की समस्याएं।
- त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू।
- नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण।

VII. पर्यावरणीय अध्ययन (विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण) 30 प्रश्न

क) विषय वस्तुः–

- परिवार।
- भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- आवास।
- पेड़–पौधे एवं जन्तु।
- हमारा परिवेश।
- मेला।
- स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय।
- जल।
- यातायात एवं संचार।
- खेल एवं खेल भावना।
- भारत– नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर।
- हमारा प्रदेश– नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात।
- संविधान।

- शासन व्यवस्था– स्थानीय स्वशासन, ग्राम–पंचायत, नगर–पंचायत, जिला–पंचायत, नगर–पालिका, नगर–निगम, जिला–प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय–पर्व, राष्ट्रीय–प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता।
- पर्यावरण–आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण–संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएँ।

ख) अध्यापन संबन्धी मुद्दे:–

- पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति।
- पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन।
- पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा।
- अधिगम सिद्धान्त।
- विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबन्ध।
- अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण।
- क्रियाकलाप।
- प्रयोग / व्यावहारिक कार्य।
- चर्चा।
- सतत् व्यापक मूल्यांकन।
- शिक्षण सामग्री / उपकरण।
- समस्याएँ।

****

Sarkari Result : SarkariResult.Com

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
23, एलनगंज, प्रयागराज–211002

यू0पी0टी0ई0टी0(**UPTET**) की संरचना व विषय वस्तुः–

I. उच्च प्राथमिक स्तर **TET** परीक्षा (कक्षा 6 से 8 के लिए)

II. परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे अर्थात् 150 मिनट की होगी।

III. यू0पी0टी0ई0टी0 में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन(**Negative Marking**) नही होगा।

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास और शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQs	30
2.	भाषा प्रथम हिन्दी (अनिवार्य)	30 MCQs	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQs	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQs	60
कुल		**150 MCQs**	150 अंक

पेपर II (कक्षा VI से VIII के लिए) उच्च प्राथमिक स्तरः–

I. बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न

क) विषय–वस्तुः–

- बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास।
- बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक–वंशानुक्रम, वातावरण (पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीय, संचार माध्यम)।

सीखने का अर्थ तथा सिद्धान्तः–

- अधिगम (सीखने) का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ।
- अधिगम के नियम– थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व।
- अधिगम के प्रमुख सिद्धान्त तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धान्त, पैवलव का सम्बद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धान्त, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त, कोहलर का सूझ या अन्तर्दृष्टि का सिद्वान्त, प्याजे का सिद्वान्त, व्योगास्की का सिद्वान्त सीखने का वक्र– अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण।

शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँः–

- शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, सम्प्रेषण, शिक्षण के सिद्धान्त, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ (उपागम), सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल।

समावेशी शिक्षा–निर्देशन एवं परामर्शः–

- शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथाः अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता (दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्/अस्थि बाधित), मानसिक दक्षता।
- समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टी0एल0एम0 एवं अभिवृत्तियाँ।
- समावेशित बच्चों का अधिगम जाँचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी।
- समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेललिपि आदि।
- समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श– अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र।
- परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग/संस्थाएँ।
  - मनोविज्ञानशाला उ0प्र0, प्रयागराज।
  - मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र। (मण्डल स्तर पर)
  - जिला चिकित्सालय।
  - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेण्टर।
  - पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तन्त्र।
  - समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ।
  - सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन।
- बाल–अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व।

ख) अध्ययन और अध्यापनः–

- बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं; बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों 'असफल' होते हैं।
- शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं; बालकों की अध्ययन कार्यनीतियां; सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ।
- एक समस्या समाधानकर्ता और एक 'वैज्ञानिक अन्वेषक' के रूप में बालक।
- बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना; अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की 'त्रुटियों' को समझना।
- बोध और संवेदनाएं।
- प्रेरणा और अधिगम।
- अधिगम में योगदान देने वाले कारक– निजी एवं पर्यावरणीय।

II. भाषा– **I**

हिन्दी 30 प्रश्न

क) विषय–वस्तुः–

- अपठित अनुच्छेद।
- संज्ञा एवं संज्ञा के भेद।
- सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद।
- विशेषण एवं विशेषण के भेद।
- क्रिया एवं क्रिया के भेद।
- वाच्य– कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।
- हिन्दी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु में अन्तर।
- वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द।
- अव्यय के भेद।
- अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग।
- ''र'' के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
- वाक्य निर्माण (सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य)।
- विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग।
- वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग।
- तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द।
- उपसर्ग एवं प्रत्यय।
- शब्द युग्म।
- समास, समास विग्रह एवं समास के भेद।
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ।
- क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक।
- सन्धि एवं सन्धि के भेद। (स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग सन्धियाँ)।
- अलंकार। (अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति)

ख) भाषा विकास का अध्यापनः–

- अधिगम अर्जन।
- भाषा अध्यापन के सिद्धान्त।
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।

- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार।
- भाषा कौशल।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करनाः बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- अध्यापन–अधिगम सामग्रियांः पाठ्यपुस्तक, मल्टी मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन।
- उपचारात्मक अध्यापन।

III. भाषा– **II**

ENGLISH **30 Question**

क) विषय–वस्तुः–

- Unseen Passage
- Nouns and its Kinds
- Pronoun and its Kinds
- Verb and its Kinds
- Adjective and its Kinds & Degrees
- Adverb and its Kinds
- Preposition and its Kinds
- Conjunction and its Kinds
- Intersection
- Singular and Plural
- Subject and Predicate
- Negative and interrogative sentences
- Masculine and Feminine Gender
- Punctuations
- Suffix with Root words
- Phrasal Verbs
- Use of Somebody, Nobody, Anybody
- Part of Speech
- Narration
- Active voice and Passive voice
- Antonyms & Synonyms
- Use of Homophones
- Use of request in sentences
- Silent Letter in words

IV. भाषा– **II**

उर्दू 30 प्रश्न

क) विषय–वस्तुः–

- अपठित अनुच्छेद।
- ज़बान की फन्नी महारतों की जानकारी।
- मुखतलिफ असनाफ़े अदब हम्द, ग़ज़ल, कसीदा,मर्सिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ एवं उनके फर्क को समझना।

- मुखतलिफ शायरों, अदीबों की हालाते जिन्दगी से वाकफियत एवं उनकी तसानीफ की जानकारी हासिल करना।
- मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू जबान की खिदमत और अहमियत से वाकफियत हासिल करना।
- इस्म व उसके अक़साम, फेल, सिफत, ज़मीर, तज़कीरओं तानीस, तज़ाद की समझा।
- सही इमला एवं एराब की जानकारी होना।
- मुहावरे एवं जर्बुल अमसाल से वाक़फियत हासिल करना।
- सनअतों की जानकारी होना।
- सियासी, समाजी एवं एख्लाकी मसाइल के तईं बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाजे रखना।

V. <u>भाषा– II</u>

<u>संस्कृत 30 प्रश्न</u>

क) विषय–वस्तुः–

- अपठित अनुच्छेद।
- सन्धि– स्वर, व्यंजन।
- अव्यय।
- समास।
- लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग।
- उपसर्ग।
- पर्यायवाची।
- विलोम।
- कारक।
- अलंकार।
- प्रत्यय।
- वाच्य।
- संज्ञाएँ– निम्नवत् सभी शब्दों की सभी विभक्ति एवं वचनों के रूपों का ज्ञानः–
    - पुल्लिंग शब्द।
    - स्त्रीलिंग शब्द।
    - नपुसंकलिंग शब्द।
    - अकारान्त पुल्लिंग।
    - अकारान्त स्त्रीलिंग।
    - अकारान्त नपुसंकलिंग।
    - उकारान्त पुल्लिंग।
    - उकारान्त स्त्रीलिंग।
    - उकारान्त नपुसंकलिंग।
    - ईकारान्त पुल्लिंग।
    - ईकारान्त स्त्रीलिंग।
    - ईकारान्त नपुसंकलिंग।
    - ऋकारान्त पुल्लिंग।
- सर्वनाम।

- विशेषण।
- धातु।
- संख्याएँ।

ख) भाषा विकास का अध्यापनः–

- अधिगम और अर्जन।
- भाषा अध्यापन का सिद्धान्त।
- सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं।
- मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श।
- एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाईयां, त्रुटियां और विकार।
- भाषा कौशल।
- भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करनाः बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना।
- अध्यापन–अधिगम सामग्रीः पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषायी संसाधन।
- उपचारात्मक अध्यापन।

VI. गणित एवं विज्ञान 60 प्रश्न

1. गणित

क) विषय–वस्तुः–

- प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ।
- पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक।
- वर्गमूल।
- घनमूल।
- सर्वसमिकाएँ।
- बीजगणित, अवधारणा– चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याओं की घात।
- बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, एक, दो एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा।
- युगपद समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण।
- समान्तर रेखाएँ, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज।
- वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज।
- वृत्त की स्पर्श रेखाएँ।
- वाणिज्य गणित– अनुपात, समानुपात, प्रशितता, लाभ–हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर (टैक्स), वस्तु विनिमय प्रणाली।
- बैंकिंग– वर्तमान मुद्रा, बिल तथा कैशमेमो।
- सांख्यिकी– आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारम्बारता।
- पाई एवं दण्ड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र।
- सम्भावना (प्रायिकता) ग्राफ, दण्ड, आरेख तथा मिश्रित दण्ड आरेख।
- कार्तीय तल।
- क्षेत्रमिति (मेन्सुरेशन)।
- घातांक।

ख) अध्यापन सम्बन्धी मुद्देः–

- गणितीय/तार्किक चिंतन की प्रकृति।
- पाठ्यचर्या में गणित का स्थान।
- गणित की भाषा।
- सामुदायिक गणित।
- मूल्यांकन।
- उपचारात्मक शिक्षण।
- शिक्षण की समस्याएं।

2. विज्ञान

क) विषय–वस्तुः–

- दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
- रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक। (प्रक्रिया)
- सजीव, निर्जीव पदार्थ– जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जनतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जन्तुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जन्तुओं एवं पौधों में परिवर्तन।
- जन्तु की संरचना एवं कार्य।
- सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण।
- कोशिका से अंगतन्त्र तक।
- किशोरावस्था, विकलांगता।
- भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र।
- जन्तुओं में पोषण।
- पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे।
- जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जन्तु।
- मापन
- विद्युत धारा।
- चुम्बकत्व।
- गति, बल एवं यंत्र।
- ऊर्जा।
- कम्प्यूटर।
- ध्वनि।
- स्थिर विद्युत।
- प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र।
- वायु–गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव।
- जल–आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल–संरक्षण।
- पदार्थ, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति।
- पास–पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।
- अम्ल, क्षार, लवण।
- ऊष्मा एवं ताप।
- मानव निर्मित वस्तुएॅं, प्लास्टिक, कॉच, साबुन, मृतिका।
- खनिज एवं धातु।
- कार्बन एवं उसके यौगिक।

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत।

ख) अध्यापन सम्बन्धी मुद्देः–

- विज्ञान की प्रकृति और संरचना।
- प्राकृतिक विज्ञान/लक्ष्य और उद्देश्य।
- विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना।
- दृष्टिकोण/एकीकृत दृष्टिकोण।
- प्रेक्षण/प्रयोग/अन्वेशण (विज्ञान की पद्धति)।
- अभिनवता।
- पाठ्यचर्या सामग्री/सहायता सामग्री।
- मूल्यांकन।
- समस्याएं।
- उपचारात्मक शिक्षण।

VII. सामाजिक अध्ययन व अन्य — 60 प्रश्न

(क) विषय–वस्तुः–

I. इतिहास

- इतिहास जानने के स्रोत।
- पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति।
- छठी शताब्दी ई0पू0 का भारत।
- भारत के प्रारम्भिक राज्य।
- भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना।
- मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य।
- इस्लाम का भारत में आगमन।
- दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन।
- मुगल साम्राज्य, संस्कृति, पतन।
- यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना।
- भारत में कम्पनी राज्य का विस्तार।
- भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय।
- स्वाधीनता आन्दोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन।
- स्वतंत्र भारत की चुनौतियां।

II. नागरिक शास्त्र

- हम और हमारा समाज।
- ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन।
- ग्रामीण व नगरीय स्वशासन।
- जिला प्रशासन।
- हमारा संविधान।
- यातायात सुरक्षा।
- केन्द्रीय व राज्य शासन व्यवस्था।
- भारत में लोकतंत्र।
- देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति।

- वैश्विक समुदाय एवं भारत।
- नागरिक सुरक्षा।
- दिव्यांगता।

III. भूगोल

- सौरमण्डल में पृथ्वी, ग्लोब– पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ।
- मानचित्रण, पृथ्वी के चार परिमण्डल, स्थल मण्डल– पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप।
- विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार।
- उत्तर प्रदेश– भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग–धन्धे, जनसंख्या एवं नगरीकरण।
- धरातल के रूप, बदलने वाले कारण(आन्तरिक एवं वाह्य कारक)।
- वायुमण्डल, जलमण्डल।
- संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन।
- खनिज संसाधन, उद्योग–धन्धे।
- आपदा एवं आपदा प्रबन्धन।

IV. पर्यावरणीय अध्ययन

- पर्यावरणीय, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता।
- प्रकृतिक संतुलन।
- संसाधनों का उपयोग।
- जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण–प्रदूषण।
- अपशिष्ट प्रबन्धन, आपदाएँ, पर्यावरणविद्, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेण्डर।

V. गृहशिल्प/गृह विज्ञान

- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
- पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार।
- खाद्य पदार्थों का संरक्षण।
- प्रदूषण।
- पाचन सम्बन्धी रोग एवं सामान्य बीमारियाँ।
- गृह प्रबन्धन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढाई कला।

VI. शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम।
- मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार।
- छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अन्तर्राष्ट्रीय खेल।
- खेल और हमारा भोजन।
- प्राथमिक चिकित्सा।
- नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव का उपाय, खेलकूद, खेल प्रबन्धन एवं नियोजन का महत्व।

VII. संगीत

- स्वर ज्ञान।
- राग परिचय।

- संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान।
- तीव्र मध्यम वाले राग।
- वन्दना गीत/झण्डा गान।
- देशगान, देशगीत, भजन।
    - वनसंरक्षण/वृक्षारोपण।
    - क्रियात्मक गीत।

VIII. उद्यान विज्ञान एवं फलसंरक्षण

- मिट्टी, मृदा गठन, भू–परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद उर्वरक।
- सिंचाई, सिंचाई के यंत्र।
- बाग लगाना, विद्यालय वाटिका।
- झाड़ी एवं लताएँ, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती।
- प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन।
- फल परीक्षण, फल संरक्षण–जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना।
- जलवायु विज्ञान।
- फसल चक्र।

(ख) अध्यापन सम्बन्धी मुद्देः–

सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धतिः–

- कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान।
- विवेचित चिंतन का विकास करना।
- पूछताछ/अनुभवजन्य साक्ष्य।
- सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं।
- प्रोजेक्ट कार्य।
- मूल्यांकन

****